दो माह में नजूल के 375 प्रकरण निराकृत, 8.31 करोड़ की हुई राजस्व आय

- कलेक्टर सिन्हा के निर्देश पर तेजी से हो रहा राजस्व मामलों का निराकरण
- लोग राजस्व विभाग की योजना का लाभ उठाकर ले सकते है भूमि स्वामी हक
- जमीन का मालिकाना हक मिलने के कई फायदे, भू-अर्जन पर मिलेगा मुआवजा, बैंकों से आसानी से मिलते हैं लोन

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशन में रायगढ़ जिले में पिछले दो माह में 375 नजूल प्रकरण निराकृत किए गए हैं। जिससे शासन को 8.31 करोड़ रुपए की राजस्व आय मिली है। कलेक्टर सिन्हा ने जिले में अपनी पदस्थापना के साथ ही राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण को प्राथमिकता में रखा है। इसके लिए उन्होंने सभी अधिकारियों की बैठकें ली और लंबित सभी मामलों की एक-एक कर समीक्षा की। जिसका परिणाम रहा कि पिछले दो माह में ही इतने व्यापक स्तर पर मामले निराकृत हुए।

कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने नगरीय क्षेत्रों में शासकीय नजूल भूमि का आबंटन, व्यवस्थापन, स्थायी नजूल पट्टों का भूमि स्वामी हक में परिवर्तन, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, डायवर्सन, नक्शा, खसरा, नकल प्रकरणों का निराकरण सहित राजस्व से जुड़े सभी मामलों को निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर सिन्हा के निर्देश पर रायगढ़ शहर के विभिन्न वार्डों में स्थित नजूल भूमि के संबंध में जारी पट्टों को भूमि स्वामी हक में परिवर्तन की कार्यवाही तेजी से हो रही है।

दो माह में 375 प्रकरण निपटे, 8.31 करोड़ की हुई आय- फरवरी एवं मार्च इन दो माहों में कलेक्टर सिन्हा के निर्देश पर शासन के राजस्व संबंधी योजनाओं को लेकर अभियान चलाया गया। इस दौरान अलग अलग योजनाओं के कुल 375 प्रकरणों का निराकरण किया गया। नजूल अधिकारी रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार भूमि स्वामी हक के 218 प्रकरणों का अनुमोदन किया गया। व्यवस्थापन में 2 प्रकरणों में अनुमोदन किया गया। नवीनीकरण के 155 प्रकरण अनुमोदित किए गए। इस दौरान 01 फरवरी से 31 मार्च 2023 तक 8 करोड़ 31 लाख 6 हजार रुपये की आय शासन को हुयी।

भूमि स्वामी हक लेने के कई फायदे - योजना के तहत आवेदन कर स्थायी नजूल पट्टेदार भूमि स्वामी हक प्राप्त कर सकते है। यह योजना इसके प्रावधानों के चलते ऐसे पट्टेदारों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि योजना के तहत उन्हें सीधे जमीन का मालिकाना हक मिलता है। भूमि स्वामी हक मिलने से एक ओर जहां पट्टेदार जमीन का मालिक हो जाता है तथा किसी भी प्रकार के शासकीय अधिग्रहण तथा भू-अर्जन पर मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र होता है। यह लाभ पट्टेदार रहने पर नहीं मिलता। राजस्व नियमों के तहत पट्टा भूमि का प्रयोजन बदलने या शर्त का उल्लंघन करने पर पट्टा निरस्त हो सकता है। जैसे आवासीय पट्टे का अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने पर वह पट्टा निरस्त कर भूमि को शासकीय घोषित किया जा सकता है। वहीं इस योजना के तहत भूमि स्वामी हक लेने से प्रयोजन परिवर्तित होने पर उस भूमि का नियमितीकरण (वैध) करवाया जा सकता है। इसके साथ ही पट्टा भूमि पर बैंकों द्वारा सिर्फ लीज/पट्टा अवधि तक का ही लोन स्वीकृत किया जाता हैए जबकि भू-स्वामी हक मिलने के पश्चात हितग्राही उस भूमि के विरूद्ध इस तरह किसी भी अवधि विशेष के बंधन से मुक्त होकर लोन ले सकता है। इसके साथ ही राजस्व विभाग द्वारा शासकीय भूमि के व्यवस्थापन तथा राजीव गांधी आश्रय योजना के पट्टेदारों को भूमि स्वामी हक प्रदाय करने की योजना भी चलायी जा रही है। नजूल अधिकारी ने लोगों से शासन की इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है।

ऐसे ले सकते हैं इन योजनाओं का लाभ- शासकीय भूमि का व्यवस्थापन-नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत 20 अगस्त 2017 के पूर्व के अतिक्रमित/कब्जारत शासकीय/नजूल भूमि के कब्जेदार/आवेदक अपने अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन प्रचलित गाईड लाईन/बाजार भाव का 150 प्रतिशत प्रब्याजी एवं प्रब्याजी का 2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त राशि जमा कर भूमि स्वामी हक प्राप्त कर सकते है।

गैर रियायती स्थायी पट्टेदारों को भूमि स्वामी हक प्रदाय करना- नगरीय क्षेत्र के गैर रियायती स्थायी पट्टों के पट्टेदार अपने पट्टों की प्राप्त भूमि के वर्तमान गाईड लाईन दर के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत की बराबर की राशि जमा कर भूमि स्वामी हक प्राप्त कर सकते है। ऐसे पट्टे जिनकी पट्टा अवधि समाप्त हो गयी है। ऐसे पट्टेदार नवीनीकरण सह भूमि स्वामी हक प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते है।

राजीव गांधी आश्रय योजना के पट्टेदारों को भूमि स्वामी हक प्रदाय करना-नगरीय क्षेत्र के राजीव गांधी आश्रय योजना/मुख्यमंत्री आबादी पट्टा के पट्टेदार अपने पट्टों की प्राप्त भूमि के वर्तमान गाईड लाईन दर के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य के 22 प्रतिशत के बराबर की राशि जमा कर भूमि स्वामी हक प्राप्त कर सकते है।

महत्वपूर्ण एवं खास

समूह की बिंदा यादव ने 1.5 क्विंटल गोबर बेचकर कमाया 60-65 हजार रुपए का लाभ

रायपुर (आरएनएस)। समूह की महिला बिंदा यादव ने बताया कि उन्होंने 1.5 क्विंटल गोबर बेची हैं, जिससे उनको 60-65 हजार रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है, इस पैसे से गाय खरीदी हैं, अभी सामान्य रिक्शे से गोबर बेचने जाते हैं। बिंदा ने मुख्यमंत्री से ई-रिक्शा और राशन कार्ड की मांग की, इसे सुनकर मुख्यमंत्री ने राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया।

जिले में धीरे-धीरे बढ़ रही कोरोना की रफ्तार

बिलासपुर (आरएनएस)। बिलासपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 50 के करीब पहुंच गई है। शुक्रवार को एक ही दिन में सात नए मरीज मिले है। इधर स्वास्थ्य विभाग के अफसर टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन, अब तक बंद सेंटरों को शुरू नहीं किया जा सका है। एक बार फिर कोरोना संक्रमण धीर-धीरे रफ्तार पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को सात मरीज मिलने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। इसमें यह बात भी देखने को मिल रही है कि यदि परिवार का कोई एक सदस्य संक्रमित हो रहा है तो वह दूसरे सदस्यों को भी कोरोना पाजिटिव कर रहा है। साफ है कि सावधानी नहीं बरतने से कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता फिर से बढ़ गई है। यही वजह है सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड शुरू करने के निर्देश दिए गए है।

गोधन न्याय योजना के हितग्राही राम अवतार यादव ने बताया कि उनकी 27 गाय और 6 भैंस है

रायपुर (आरएनएस)। गोधन न्याय योजना के हितग्राही राम अवतार यादव ने बताया कि उनकी 27 गाय और 6 भैंस है। 500 किलो गोबर रोज निकलता है। पर गोठान वाले पूरा गोबर नहीं खरीदते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूरा गोबर खरीदने संबंधित को निर्देशित करने का आग्रह किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पूरा गोबर खरीदने कहा। राम अवतार गोबर बेचकर कार खरीदने का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि रोज उनका पूरा गोबर खरीदा जाए तो वे जल्दी ही अपना सपना पूरा कर लेंगे। अभी तक उन्होंने 48 हजार रुपए का गोबर बेचा है।

मुख्यमंत्री ने गुरु नानक सरोवर स्थित मिलेट्स कैफे का किया लोकार्पण

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने प्रदेश के अभी भेंट-मुलाकात अभियान के तहत आज दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधानसभा के गुरुनानक जी सरोवर के समीप मिलेट्स कैफे का लोकार्पण किया। इस अवसर पर वन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर, विधायक देवेन्द्र यादव, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि मिलेट्स कैफे खुलने के बाद अब यहां के लोगों की थाली में पौष्टिक व्यंजन उपलब्ध होंगे, लोगों को स्वादिष्ट व्यंजन मिलने के साथ ही एक स्वस्थ छत्तीसगढ़ का सपना भी साकार हो सकेगा।

नाबालिग से छेड़खानी मामले में कोतरारोड पुलिस ने आरोपित को किया गिरफ्तार

रायगढ़। महिला सुरक्षा, उनके शिकायतों को लेकर एसएसपी सदानंद कुमार बेहद गंभीर है। उनके द्वारा महिला एवं बालिकाओं से संबंधित आरोपितों की गिरफ्तारी, अपहृताओं की बरामदगी और लंबित विवेचनाओं के निस्तारण के सभी थाना, चौकी प्रभारियों को निर्देश हैं। निर्देशों के पालन में कल नाबालिग से छेड़खानी के मामलों को गंभीरता से लेते हुये थाना प्रभारी कोतरारोड उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा एडिशनल एसपी संजय महादेवा और कोतरारोड थाने की सुपरविजन अधिकारी डीएसपी निकिता तिवारी के उचित मार्गदर्शन पर विधि विरोधी किशोर बालक को 12 घंटे के भीतर अभिरक्षा में लेकर किशोर न्याय बोर्ड रायगढ़ के समक्ष पेश किया गया है।

कोतरारोड थानाक्षेत्र अंतर्गत रहने वाली महिला द्वारा कल देर शाम उसकी नाबालिग बालिका से मोहल्ले के किशोर बालक द्वारा गंदी नियत से छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। मामले में आरोपित पर धारा 354, 354-क, 354-ख आईपीसी और 8 पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। जांच विवेचना में बालिका के घर पहुंची महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बालिका और परिजनों का कथन लेखबद्ध कर आरोपित का पतासाजी किया गया जो फरार था। थाना प्रभारी द्वारा थाने के अलग-अलग विवेचकों की टीम बनाकर रातभर आरोपित का पतासाजी कराया गया, देर रात आरोपित को हिरासत में लिया गया जिसे आज किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है। विधि के साथ संघर्षरत बालक की पतासाजी में थाना प्रभारी कोतरारोड उप निरीक्षक गिरधारी साव के साथ महिला सहायक उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, प्रधान आरक्षक प्रेम सिदार, करूणेश राय, आरक्षक संदीप कौशिक गोविंद पटेल, कमलेश यादव, देवकुमार सोनवानी, अभिषेक द्विवेदी, संजय एक्का की प्रमुख भूमिका रही है।

सार्वजनिक स्थानों में शराबखोरी करने और शराबियों को सामग्री उपलब्ध कराने वालों पर चक्रधरनगर पुलिस की कार्यवाही

रायगढ़। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने की दिशा में विजुअल पुलिसिंग को बढवा देने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के मंशा अनुरूप थाना प्रभारी चक्रधर नगर निरीक्षक प्रशांत राव अहेर द्वारा चक्रधरनगर क्षेत्र अंतर्गत भीड़ वाले क्षेत्र कमला नेहरू गार्डन समेत रोज गार्डन आदि स्थानों पर स्टाफ से नियमित पेट्रोलिंग कराया जा रहा है। कल स्वयं टीआई चक्रधरनगर प्रशांत राव अहेर ने अपने स्टाफ के साथ कमला नेहरू गार्डन और आसपास सुने स्थानों पर एकसाथ देखे गये युवक-युवतियों को सुरक्षा के मद्देनजर समझाइश दिया गया जिसके बाद बेलादुला खर्राघाट, पहाड़ मंदिर, मरीन ड्राईव की ओर शराब खोरी की शिकायत पर सघन पेट्रोलिंग किया गया। इस दौरान पहाड़ मंदिर शराब भट्ठी से थोड़ी दूर अलग-अलग 3 गुमटीनुमा दुकानों पर शराबियों को शराब पीने की सामग्री उपलब्ध कराते हुए 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया। साथ ही मरीन ड्राईव पर एक व्यक्ति को शराब सेवन करते चक्रधरनगर पुलिस ने पकड़ा। सभी पर थाना चक्रधरनगर में आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत पर कार्यवाही की गई है। वहीं वारंटियों पर चक्रधरनगर पुलिस की कार्यवाही जारी है। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के फरार आरोपी कांता प्रसाद देवांगन पिता खुशी राम देवांगन उम्र 27 वर्ष निवासी बेलादुला थाना चक्रधरनगर को गिरफ्तारी वारंट के परिपालन में गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।

इन पर आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही-

1. देवदास मजूमदार पिता सुरेश चंद्र मजूमदार 54 वर्ष निवासी पहाड़ मंदिर कौहाकुंडा थाना चक्रधरनगर रायगढ़
2. सौदागर डे पिता गोपाल चंद्र डे उम्र 43 वर्ष निवासी कायाघाट थाना जूटमिल रायगढ़
3. जोधीराम पटेल पिता महेश राम पटेल उम्र 50 वर्ष निवासी संजय नगर थाना चक्रधरनगर
4. सुनीत केरकेट्टा पिता फैल केरकेट्टा उम्र 37 वर्ष निवासी टीवी टावर थाना चक्रधरनगर रायगढ़

हत्या मामले के फरार आरोपी को तमनार पुलिस ने किया गिरफ्तार

- जमीन विवाद पर आरोपी ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर तीन व्यक्तियों से की थी मारपीट, एक व्यक्ति की गंभीर चोट पर हुई थी मृत्यु
- पिता और भाई पहले ही गिरफ्तार

रायगढ़। तमनार पुलिस द्वारा हत्या मामले के फरार आरोपी मुकेश पटेल निवासी रायपारा समकेरा, तमनार को कल घरघोड़ा के बैहामुड़ा गांव में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है आरोपी करीब ढाई साल से फरार चल रहा था।

जानकारी के मुताबिक 02 दिसंबर 2020 के दोपहर ग्राम रायपारा समकेरा का करन पटेल थाना तमनार आकर गांव के शिवचरण पटेल और उसके लड़के मिलकर ग्राम दनौट के लक्ष्मीधर पटेल, गोविंद पटेल और मुरली पटेल से लाठी डंडा हाथ मुक्का से मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराया, रिपोर्ट पर थाना तमनार में अप.क्र. 415/2020 धारा 294, 506, 323, 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना दौरान आहतों के चोटों के क्योरी पर प्रकरण में धारा 307 आईपीसी जोड़ा गया।

विवेचना में जानकारी मिला कि ग्राम समकेरा निवासी शिवचरण पटेल और उसकी बहन के बीच रायपारा तमनार के जमीन का विवाद न्यायालय में चल रहा था, न्यायालय से शिवचरण की बहन निवासी ग्राम दनौट को जमीन की डिग्री मिल गई। 02 दिसंबर 2020 को ग्राम दनौट से मुरलीधर नायक बंशीधर नायक (लक्ष्मीधर नायक) विवादित खेत को नाप कराने पटवारी, कोटवार और गांव के कुछ लोगों के साथ समकेला, तमनार आये थे। जमीन नापते समय सुबह शिवचरण पटेल और उसके लड़के खुशी राम पटेल, मुकेश पटेल तीनों लाठी, डंडा लेकर खेत पर पहुंचे और जमीन नपाने वाले कौन हो कहते हुए लक्ष्मीधर पटेल, गोविंद पटेल और मुरली पटेल को लाठी डंडा हाथ मुक्का से मारपीट किए। तीनों आहतों को सीएचसी तमनार में प्राथमिक उपचार के बाद केजीएच रायगढ़ में भर्ती के लिए ले जाया जा रहा था कि रास्ते में आहत गोविंद पटेल की मृत्यु हो गया। प्रकरण में मृतक की मर्ग डायरी प्राप्त कर धारा 302 आईपीसी जोड़ा गया। अपराध विवेचना दरमियान दूसरे की दिन 03 दिसंबर को तमनार पुलिस द्वारा आरोपी शिवचरण पटेल और उसके लड़के खुशीराम पटेल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। आरोपी मुकेश पटेल घटना के बाद से फरार था। तमनार पुलिस द्वारा मुकेश पटेल के चल-अचल संपत्ति का विवरण तैयार कर गिरफ्तार आरोपियों सहित फरार आरोपी मुकेश पटेल के विरुद्ध धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत चालान न्यायालय पेश किया गया।

एसएसपी सदानंद कुमार द्वारा गंभीर अपराधों के फरार आरोपी की थाना प्रभारियों द्वारा स्वत: जांच, पतासाजी के दिये निर्देशों पर थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक प्रवीण मिंज द्वारा मुखबिर लगाकर फरार आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। गत दिनों थाना प्रभारी को मुखबिर द्वारा आरोपी मुकेश पटेल के उसके रिश्तेदार के यहां ग्राम बैहामुड़ा, घरघोड़ा में छिपे होने की जानकारी देने पर तत्काल तमनार थाने से स्टाफ द्वारा ग्राम बैहामुड़ा में दबिश देकर आरोपी मुकेश पटेल पिता शिवचरण पटेल उम्र 32 साल निवासी रायपारा समकेरा थाना तमनार को हिरासत में लेकर थाना लाया गया जिसे कल रात्रि गिरफ्तार कर आज जेएमएफसी घरघोड़ा के न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी के विरुद्ध शीघ्र पूरक चालान पेश किया जावेगा। एडिशनल एसपी संजय महादेवा एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के उचित मार्गदर्शन पर फरार आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी में थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक प्रवीण मिंज, प्रधान आरक्षक देव प्रसाद राठिया और आरक्षक भूपेश राठिया की अहम भूमिका रही है।

मुख्यमंत्री ने दुर्ग में शहीद चुम्मन यादव के मूर्ति का किया अनावरण

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग वैशाली नगर विधानसभा के छावनी के तिरंगा चौक में शहीद चुम्मन यादव के मूर्ति का अनावरण किया।

30 अगस्त 2014 को शहीद हुए थे। मूर्ति स्थापना के लिए यादव समाज द्वारा मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग वैशाली नगर विधानसभा के छावनी के तिरंगा चौक में शहीद चुम्मन यादव के मूर्ति का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने शहीद चुम्मन यादव की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर वन एवं जिले की प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर, दुर्ग विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल और उनकी माता राधाबाई यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित उपस्थित थे।

शहीद चुम्मन यादव जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी मुठभेड़ के दौरान 30 अगस्त 2014 को शहीद हुए थे। मूर्ति स्थापना के लिए यादव समाज द्वारा मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

कुत्तों के झुंड ने ली मासूम की जान : ईंट भट्ठे में काम कर रहे थे माता-पिता

कोरिया (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बैकुंठपुर स्थित ईंट भट्ठे में काम करने आए मजदूर के 5 साल की मासूम बच्ची पर कुत्ते के झुंड ने हमला कर दिया। हमले में बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई।

आए दिन मजदूरों की परेशानी, शोषण, उन्हें बंधक बनाने और मजदूरी भुगतान के किस्से सुनने को मिलते हैं। वहीं शुक्रवार को लापरवाही के कारण मजदूरों को अपनी मासूम बच्ची से हाथ धोना पड़ा। क्षेत्र में रोजगार न मिलने से मजदूरों को रोजगार की तलाश में बहार जाना पड़ता है, इस दौरान उनका पलायन भी होता है। इस कारण मजदूर और मजदूरों का परिवार दुर्घटना का शिकार हो जाता है।

5 साल की मासूम बच्ची कुत्तों के बीच फंसी- ऐसे ही एक घटना बैकुंठपुर से सामने आई है, जहां सरगुजा जिले से बैकुंठपुर के ईंट भट्ठे में काम करने आए मजदूर के 5 साल की मासूम बच्ची सुकांति माझी, पिता अजय माझी पर कुत्ते के झुंड ने हमला कर दिया। इस हमले में बच्ची की मौत हो गई। हमला इतना दर्दनाक था कि, मासूम की तस्वीर देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिला अस्पताल बैकुंठपुर लाते ही चिकत्सक ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया।

दो दिन छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली दो दर्जन से अधिक ट्रेनें रहेंगी रद्द

रायपुर (आरएनएस)। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर रेल मंडल में खेमाशुलि रेलवे स्टेशन में दिनांक 05 अप्रैल, 2023 से रेल रोको आंदोलन चल रहा है। इसके के फलस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कुछ गाडियों का परिचालन प्रभावित रहेगी। रेल अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक 9 अप्रैल को भी कई ट्रेनें रद्द रहेंगी।

- दिनांक 09 अप्रैल, 2023 को पुणे से रवाना होने वाली 12129 पुणे-हावड़ा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- दिनांक 09 अप्रैल, 2023 को हावड़ा से रवाना होने वाली 12130 हावड़ा-पुणे एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- दिनांक 09 अप्रैल, 2023 को कुर्ला से रवाना होने वाली 12145 कुर्ला-पूरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- दिनांक 09 अप्रैल, 2023 को सीएसएमटी से रवाना होने वाली 12261 सीएसएमटी-हावड़ा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- दिनांक 09 अप्रैल, 2023 को सीएसएमटी से रवाना होने वाली 12809 सीएसएमटी-हावड़ा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- दिनांक 09 अप्रैल, 2023 को हावड़ा से रवाना होने वाली 12834 हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- दिनांक 09 अप्रैल, 2023 को सीएसएमटी से रवाना होने वाली 12859 सीएसएमटी-हावड़ा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- दिनांक 09 अप्रैल, 2023 को हावड़ा से रवाना होने वाली 12860 हावड़ा-सीएसएमटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- दिनांक 09 अप्रैल, 2023 को सीएसएमटी से रवाना होने वाली 12869 सीएसएमटी-हावड़ा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- दिनांक 09 अप्रैल, 2023 को एलटीटी से रवाना होने वाली 18029 एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- दिनांक 09 अप्रैल, 2023 को शालीमार से रवाना होने वाली 18030 शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- दिनांक 09 अप्रैल, 2023 को राजेंद्रनगर से रवाना होने वाली 22844 राजेंद्रनगर-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- दिनांक 09 अप्रैल, 2023 को अहमदाबाद से रवाना होने वाली 12833 अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.डी. वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO:- CHHHIN/2018/76480